



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-467 राँची, बुधवार,

8 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 सितम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-7/2021-16586(HRMS)--भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या-03/2021, दिनांक 11.02.2021, धारा-7(a) P.C. (Amendment Act) 2018 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री जागो महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज को दिनांक 12.02.2021 को वादी संतोष कुमार यादव से 7000 (सात हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-5785(HRMS), दिनांक 27.05.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 12.02.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री महतो द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 31.05.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है ।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री महतो द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-31.05.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 31.05.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में श्री महतो का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	JAGO MAHTO (110011163087)	श्री जागो महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज को योगदान की तिथि 31.05.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया जाता है ।	31/05/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
